



हिन्दुस्तान में प्रभावी शान्ति के लिए सहिष्णुता अनिवार्य

जवाहरलाल नेहरू

भारत की हाल की घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि दूसरे मजहबों को मानने वालों के विश्वास और धर्माचरण के प्रति असहिष्णुता हमारे अन्दर बहुत ज्यादा है जिससे जुदा-जुदा धर्मों के मानने वालों के बीच अक्सर झगड़े उठ खड़े होते हैं। इसके खिलाफ की गई कोशिशों के बावजूद यह असहिष्णुता बढ़ती ही जाती है और हमारे राष्ट्रीय और नागरिक जीवन की सभी बुनियादों में जहर भर रही है। हरेक जाति को लगता है कि दूसरी जातियों के नेता पक्षपात से पूर्ण और अविवेकी हैं जिससे अपने सहधर्मियों के सभी अच्छे-बुरे कामों की आंख मीचकर ताईद करते हैं। बुद्धि और तर्क की जगह आवेग और पक्षपात ले रहे हैं, जिससे हर तरह की तरक्की बहुत मुश्किल होती जाती है। सहिष्णुता की भावना से जबतक काम न लिया जाय तब तक हिन्दुस्तान में प्रभावशाली शान्ति नहीं हो सकती। सहिष्णुता पर समझ-बूझकर अमल किया जाय तभी एकता हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि सहिष्णुता की बुनियादी बातों का साफ और निश्चित भाषा में ऐलान करके मुल्क के लोगों तक पहुंचाया जाय।

दूसरों के धार्मिक विश्वासों और मजहबी रीति-रस्मों के प्रति हमारे अन्दर पूरी सहिष्णुता होनी चाहिए, जिससे हर स्त्री-पुरुष को अपने धर्म-विश्वास पर कायम रहते हुए

उसकी मान्यता का इजहार करने और उसके मूजिब चलने की पूरी आजादी हो। धर्म के मामले में किसी के कोई भी विचार क्यों न हों, उसके लिए उसे सताना हर्गिज नहीं चाहिए।

सहिष्णुता की पहली बुनियादी बात यह है कि सभी धर्मस्थानों की रक्षा की जाय, चाहे वे किसी भी धर्म के क्यों न हों। किसी भी तरह की कैसी भी उत्तेजना क्यों न हो, उसे उन्हें भ्रष्ट करने या उन पर हमला करने की

काफी वजह नहीं माना जा सकता। इसलिए ऐसे सभी कामों की निन्दा करनी चाहिए।

जुदा-जुदा मजहबों के माननेवालों में झगड़ा अक्सर बहुत मामूली और ऐसी बातों पर

होता है जो बुनियादी तौर पर जरूरी नहीं होतीं। तनाव और गुस्से के वक्त ऐसे काम किये जाते हैं, जिनसे दूसरे मजहबों के माननेवालों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचे और वे भड़कें। ऐसे भड़कानेवाले काम एकदम नामुनासिब हैं, इसलिए इन्हें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। समय के फिर से सामान्य होते ही ऐसे काम अपने-आप बन्द हो जाएंगे। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसे काम पर, जो सहिष्णुता के सिद्धान्त के अनुसार आपत्ति के योग्य न हों और उचित हों, उत्तेजना कितनी ही क्यों न हो उससे किसी आदमी को बदला लेने या उस

14 नवम्बर : नेहरू जयंती
'हिन्द के जवाहर' : जिन्दाबाद!

काम में दखलन्दाजी करने का हक हासिल नहीं होता। ऐसे मामलों में कोई दखलन्दाजी नहीं की जा सकती और यह बात सम्बद्ध आदमी या जमात की सद्भावना पर ही छोड़नी होगी कि वह दूसरी जाति के अपने भाइयों की भावनाओं को गैरजरूरी तौर पर चोट न पहुंचाये। गोकुशी झगड़े का एक खास कारण रहा है। सहिष्णुता का मतलब है कि यह कितना ही उत्तेजक क्यों न हो फिर भी किसी हिन्दू को इसमें दखलन्दाजी नहीं करनी चाहिए। वह तो इसके लिए दरखास्त ही कर सकता है, उसे मानने-नमानने का काम दूसरे पर ही छोड़ना होगा। झगड़े का एक कारण अभी हाल में सामने आया है और वह भी लगभग उतना ही खास बन गया है। वह है मन्दिरों में और मस्जिद के आगे से गुजरते हुए बाजा बजाने का। शंखध्वनि पर खासतौर से आपत्ति की जाती है। यहां भी सहिष्णुता का यही मतलब है कि कोई हिन्दू जहां उसका जी चाहे वहां शंख बजाये और मस्जिद के आगे से गुजरते हुए भी उसे बजा सकता है, किसी मुसलमान को इसमें

हर्गिज दखलन्दाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत-से-बहुत वह दरखास्त कर सकता है।

हर इन्सान को यह हक है कि अपने मजहब पर चले और जब चाहे तब मजहब को बदल दे। दूसरे मजहब वाले का धर्म बदलने का भी उसे हक है, लेकिन ऐसा तर्क और आग्रह द्वारा ही किया जा सकता है, जिसमें जोर-जबरदस्ती या नामुनासिब उपायों का किसी भी हालत में सहारा नहीं लिया जा सकता। 16 साल से कम उम्र के नाबालिग लड़के-लड़कियों का जहां तक सवाल है, गैरमुनासिब दबाव की सम्भावना से बचने के खयाल से अच्छा यही है कि उनके मजहब को बदलने की कोई कोशिश न कर उन्हें उनकी अपनी जातिवालों के ही सुपुर्द कर दिया जाय। बहुतों का मजहब बदलना भी मुल्क की मौजूदा हालत में बहुत गैरमुनासिब है।

(जवाहरलाल नेहरू वाङ्मय :
खण्ड-2, पृष्ठ 171-173)

सर्वधर्म समभाव ही भारत की आत्मा है

चिन्मय मिश्र

भारत आज तमाम तरह के संकटों से गुजर रहा है। परंतु यह तो स्पष्ट है कि इस वक्त का सबसे बड़ा संकट बढ़ती और जड़ जमाती 'सांप्रदायिकता' है। भारत के हुक्मरान यह भूल रहे हैं कि भारत के दृढ़ता का आधार "सर्वधर्म समभाव" ही हो सकता है। गांधी इस तथ्य को शुरू से ही जानते थे और लगातार अपने सनातनी हिन्दू होने को स्वीकारते हुए, सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष करते रहे और अंततः इसी सांप्रदायिकता ने उनके प्राण भी ले लिए। बहरहाल इस स्वर्णकाल में कुछ भी चमकता नजर नहीं आ रहा है। सब ओर घना कोहरा छाया है। यह कोहरा इतना घना है कि इसने प्रेम के सूरज की किरणें भी अपने में समेट ली हैं। यह कोहरा नहीं छटा तो अगली स्थिति गहन अंधकार की है और उसके बाद ? उसके बाद इतना बड़ा प्रश्नचिन्ह है, जिसमें एक सौ चालीस करोड़ का देश अटक गया है। हमें सोचना होगा कि क्या हम एक असाध्य विनाश की ओर बढ़ चले हैं ?

वर्तमान भारत में बहुसंख्यक के ऊपर अपने धर्म की उच्चता का जो भीषण नशा छा गया है, उसने उसे विवेकशून्यता की ओर ढकेल दिया है। दिल्ली में गणेश पंडाल में एक मुस्लिम युवक को बिजली के खंबे से बांधकर उसी के मोहल्ले में उसी के परिचितों ने पीट-पीटकर इसलिए मार डाला क्योंकि उसने प्रसाद (केला) खा लिया था। कुछ कह रहे हैं कि उसने चुराकर खाया था। अजीब बात है, चोरी की सजा, सार्वजनिक मौत। वह भी उन्मादी भीड़ के सामूहिक निर्णय के आधार पर ? गौरतलब है उस जगह से कुछ ही कोसों की दूरी पर जहां पर जन्म लेने वाले भगवान "माखन चोर" कहलाए थे।

मध्य प्रदेश में एक बारह साल की छोटी सी मासूम लड़की अपने घर से सात सौ किलोमीटर दूर "धार्मिक नगरी" उज्जैन में बहशी बलात्कारियों का शिकार हो जाती है। गुमशुदगी की रिपोर्ट के बावजूद, मध्य प्रदेश की पुलिस सक्रिय नहीं होती। बलात्कार पीड़ित लड़की घिसटते,

गिरते-पड़ते आठ किलोमीटर, महाकाल की पवित्र नगरी में पैदल चलती रहती है। एक भी व्यक्ति मदद करने सामने नहीं आता। सैकड़ों-करोड़ों रुपयों का सार्वजनिक धन, महाकाल लोक बनाने में लगा। परंतु इससे नागरिकों की संवेदनशीलता में तो कोई परिवर्तन नहीं आया। हम पढ़ने भर लगे कि इस सप्ताहांत आठ लाख लोगों ने महाकाल के दर्शन किये। करोड़ों का चढ़ावा आया। परंतु एक लड़की उस पवित्र शहर में सुरक्षित नहीं है। अभी तक एक भी पुलिस कर्मचारी, निलंबित नहीं हुआ। कोई सवाल नहीं कि वे क्या कर रहे थे। जाहिर है राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में लड़की कार के नीचे फंसकर बीस किलोमीटर घिसटती है और उज्जैन में एक लड़की आठ किलोमीटर पैदल चलती है, लहलुहान, दोनों को कोई नहीं बचाता। क्या ये गांधी की कल्पना का भारत है ?

किसी राजनीतिज्ञ या प्रशासनिक अमले के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। सब कुछ यथावत ही चल रहा है। कुछ बयान जरूर आ रहे हैं, परंतु वे भी अंततः खोखले ही सिद्ध होंगे। विपक्ष ने भी इस घटना के विरोध में अपनी

चुनावी गतिविधियों को एक दिन का विराम नहीं दिया। एक भी सभा इसी विषय का लेकर नहीं हुई। आपदा शायद सभी के लिए अपने-अपने हिसाब से अवसर ही है।

दरअसल भारत, में हिंसा का क्रूरता और वीभत्सता में बदले जाने के पीछे मुख्यतः "सांप्रदायिकता" ही जिम्मेदार है। सन 2002 में गुजरात से शुरू हुआ यह नया घृणित दौर अब पूरे देश में अपना विष फैला रहा है। मणिपुर में घृणित बलात्कार और पीड़ितों के नग्न प्रदर्शन के बाद अब दो युवाओं की नृशंस हत्या का 'लाइव' वीडियो समझा रहा है कि हम किस राह चल पड़े हैं। गांधी "जेल" को "मंदिर" बना देते हैं और हम "मंदिर" को एक "युद्ध क्षेत्र" में बदल रहे हैं। अयोध्या यानी जहां युद्ध ही नहीं हुए वह नए तरह के सांप्रदायिक युद्ध की शुरुआत कर गया।

सुधीर चन्द्र अपनी पुस्तक "गांधी एक असंभव संभावना" में 10 दिसंबर 1947 के गांधीजी एक वक्तव्य को उद्धृत करते हैं, "हिन्दू-मुसलमानों के बारे में एक तरह से सुनता हूं कि ऐसे व्याख्यान भी चलते हैं, अभी नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि पूरा-पूरा नाम अभी नहीं आया है कि चंद मुसलमान पड़े हैं, उनको रहने नहीं देंगे। जो मस्जिद रह गई हैं, उन पर कब्जा करेंगे, और उनमें रहेंगे। फिर क्या करेंगे, 'देव' जानता है, मैं नहीं जानता हूं। हम विनाश का काम कर रहे हैं।" सुधीर चंद बात आगे बढ़ाते हुए अपनी टिप्पणी में कहते हैं, "गांधी को अकल्पनीय डर लग रहा था। हमने उनके अकल्पनीय को संभव बना दिखाया है। चालीस साल में थोड़ा ही ऊपर हमें लगा है, गांधी और गांधी के समय के हेय को श्रेय बनाने में। भले ही उस समय दिल्ली के दंगों में सौ से ज्यादा मस्जिदें

बर्बाद कर दी गई हों, थोड़ी देर के लिए, और देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसी बर्बादी हुई हो — स्थाई तरीके से — पर न गांधी और न ही देश की सार्वजनिक चेतना गर्व से संचरित हुई थी उन कृत्यों के कारण।"

"दूसरे धर्मों को बरदाश्त करने में उनकी (धर्मों की) कभी मान ली जाती है। आदर में मेहरबानी का भाव आता है। अहिंसा हमें दूसरे धर्मों के लिए समभाव, बराबरी का भाव सिखाती है। आदर और सहिष्णुता अहिंसा की नजर में काफी नहीं है। दूसरे धर्मों के लिए समभाव रखने के मूल में अपने धर्म की अपूर्णता का स्वीकार आ ही जाता है। और सत्य की आराधना, अहिंसा की कसौटी यही सिखाती है।"

— महात्मा गांधी, 23.9.30, यरवदा मंदिर (जेल)

जाहिर है आज स्थितियां हम सबके सामने हैं। मणिपुर में दो सौ से ज्यादा चर्च नष्ट हो गए। सारा देश बुलडोजर की चपेट में है। एक नई बुलडोजर कुसंस्कृति का उदय हो गया। दिल्ली हो या नूह। कानपुर हो या खरगोन। पूरा देश बुलडोजर के पंजों से घायल हो रहा है। कानून अब अदालतों से ज्यादा सड़कों पर लागू किया जा रहा है। सांप्रदायिकता अब देश की नई "पहचान" बनने के प्रयास में है। खालिस्तान का मामला नए सिरे से सामने आया है। देश-प्रेम नए तरह से व्याख्यायित हो रहा है।

गांधी कहते हैं, "आज जो हिंसा दिख रही है, वह नामदों की हिंसा है। एक मर्द की हिंसा भी होती है। मान लीजिये, चार-पांच आदमी अपनी तलवारों से लड़ते-लड़ते मर जाते हैं, उसमें हिंसा जरूर है, परंतु वह मर्दों की हिंसा

है। जब दस-बारह हजार सशस्त्र आदमी एक गांव के निहत्थे लोगों पर हमला करके स्त्री-बच्चों सहित उन्हें काट डालते हैं, तो वह नामदों की हिंसा हुई। अमेरिका का एटम बम एकतरफ और सारा जापान दूसरी तरफ। यह नामदों की ही हिंसा थी।" तो आज जो भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में हो रहा है कि, अल्पसंख्यक लगातार हिंसा का शिकार हो रहे हैं। भारत में सांप्रदायिकता अब राजनीति की धुरी बनती जा रही है। कोई कम साम्प्रदायिक है तो कोई ज्यादा।

एम.एस. गोलवलकर ने सन 1939 में एक पत्र में लिखा था, "जर्मन जाति का गर्व आज चर्चा का विषय बन गया है। अपनी जाति एवं संस्कृति की शुद्धता को बनाए रखने के लिए जर्मनी ने यहूदी जाति का उन्मूलन करके संसार को सदमा पहुंचाया। यहां जाति-गर्व अपने सर्वोच्च रूप में अभिव्यक्त होता है। जर्मनी ने यह भी दर्शाया है कि किस प्रकार मतभेदों के गहरे होने से जातियों और संस्कृतियों का मिलकर एक होना लगभग असंभव है, जो हिन्दुस्तान में हमारे लिए एक अच्छा सबक है, जिससे हम लाभ उठा सकते हैं"।

उपरोक्त कथन के आधार पर आज के भारत का आकलन कीजिए और इसी के समानांतर यह भी खोजिए कि उपरोक्त नीतियों की वजह से तत्कालीन जर्मनी का क्या हुआ था। इस बात पर भी गौर करिए कि यूरोप का पिछले सौ वर्षों का इतिहास देशों के विघटन और टूटन का है और इसके ठीक विपरीत भारत पिछले सौ वर्षों में ज्यादा सुगठित और संयुक्त हुआ है। भारत का इतिहास जुड़ाव का रहा है। परंतु आज तो सब ओर जैसे सब कुछ टूटता-सा दिख रहा है, और इसकी बड़ी वजहें, पहली तो सांप्रदायिकता और दूसरी है बढ़ती सामाजिक हिंसा और क्रूरता।

अहिंसा अब जैसे कोई दूसरी दुनिया का शब्द और रीति है। महात्मा गांधी ने 18 सितंबर, 1947 को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के एक कार्यक्रम में कहा था, "मैं यह दावा करता हूं कि मैं सनातनी हिन्दू हूं। 'सनातन' का मूल अर्थ लेता हूं। हिन्दू शब्द का सही मूल क्या है, यह कोई नहीं जानता। यह नाम हमें दूसरों ने दिया और हमने उसे अपने स्वभाव के अनुसार अपना लिया। हिन्दू धर्म ने दुनिया के सभी धर्मों की अच्छी बातें अपना ली हैं और इस अर्थ में यह कोई वर्जनशील धर्म नहीं है। अतः इसका इस्लाम धर्म के अनुयायियों के साथ ऐसा कोई झगड़ा नहीं

हो सकता जैसा कि आज दुर्भाग्यवश हो रहा है। जबसे हिन्दू धर्म में अस्पृश्यता का जहर फैला तब से इसका पतन आरंभ हुआ। एक चीज निश्चित है, और मैं यह बात जोर से कहता आया हूं, यानी यदि अस्पृश्यता बनी रही तो हिन्दू धर्म मिट जाएगा।" उनका वह पूरा संबोधन ही बेहद महत्वपूर्ण है।

गौरतलब है संघ के प्रमुख जिस तरह से जर्मनी की फासिस्ट नीति की प्रशंसा कर रहे हैं, वह आज के परिप्रेक्ष्य में ध्यान देने योग्य है और इसके ठीक उलट महात्मा गांधी आर. एस. एस. के कार्यक्रम में उन्हें ठीक-ठीक सलाह दे रहे थे। परंतु संघ ने उनकी सलाह को तब भी अनसुना किया था और आज जो कुछ उनके माध्यम से हो रहा है वह भी हम सबसे छुपा नहीं है।

भारत आज एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जिसमें अब आगे जाने का रास्ता नहीं बल्कि चौड़ी दीवार खड़ी हो गई है नफरत, सांप्रदायिकता और हिंसा की। इस दीवार को सिर्फ प्रेम और परस्पर विश्वास से ही गिराया जा सकता है और यही गांधी का मार्ग और संदेश दोनों ही हैं। भारत में आज सांप्रदायिकता की आड़ में सामाजिक विषमता और जातीय हिंसा की ओर से ध्यान हटाया जा रहा है। याद रखिए राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार प्रति सोलह मिनट में एक दलित के विरुद्ध, किसी गैर दलित द्वारा अपराध किया जाता है। (यह गैर-दलित कौन है?) प्रतिदिन चार से अधिक अछूत महिलाओं का गैर अछूत द्वारा बलात्कार किया जाता है। (ये गैर-अछूत किस समाज के हैं?) प्रत्येक सप्ताह तेरह दलितों की हत्या होती है और छः दलितों का अपहरण होता है। (यह कौन करता है?) वृहद बहुसंख्य समाज की सांप्रदायिकता से इतर उपरोक्त मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। क्या ऐसा संभव हो पाएगा? हम सांप्रदायिकता के पागलपन से कब उबर पायेंगे?

अंत में एक बार पुनः गांधी की विराट दृष्टि को नमन करते हुए, उनके इस कथन पर गौर करते हैं, "मेरी दृष्टि में ईश्वर सत्य है और प्रेम है, ईश्वर नीति है और सदाचार है, ईश्वर निर्मयता है। ईश्वर प्रकाश और जीवन का स्रोत है, और फिर भी वह इन सबसे ऊपर है और परे है। ईश्वर विवेक-बुद्धि है। वह नास्तिक की नास्तिकता भी है।" उनकी दिव्य दृष्टि को नमन! (www.samvet.com)

स्वार्थ की सत्ता ने खड़ा किया इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष

कुमार प्रशान्त

साल भर से ज्यादा हुए, मन बेतरह घायल है। कान युक्रेन की चीख से गूँजते रहते हैं। अपनी असहायता का तीखा बोध लगातार चुभत रहता है। यह शर्म भी कम नहीं चुभती कि हमारा देश भी नागरिकों की इस जघन्य हत्या में भागीदार है और युक्रेन व रुस में बहते खून में से तेल छानकर जमा करने में लगा है। यह सब था कि तभी 7 अक्टूबर, 2023 आया। फिलिस्तीनी 'हमास' ने इजरायल पर ऐसा पाशविक हमला कर दिया जिसने शर्म से झुके माथे पर टनों बोझ लाद दिया। शर्म से झुका सर लगातार झुकता ही जा रहा है। क्योंकि यह गुस्सा नहीं, आत्मग्लानि का बोझ है। असहमति, विवाद, गुस्सा, प्रतिद्वंद्विता, बदला, घृणा, कायरता व क्रूरता सबकी अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत की भी तो जगह है न ! सिकुड़ते-सिकुड़ते वह जगह अब सांस लेने लायक भी नहीं बची है।

फिलिस्तीन-इजरायल समस्या का इतिहास बहुत लंबा व पुराना है - उतना ही पुराना जितना मानव जाति की मूढ़ता का इतिहास। यहां उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। 'हमास' ने जिस तरह इजरायल पर हमला किया वह उसकी मूढ़ता, हृदयहीनता व अदूरदर्शिता का प्रमाण है। 'हमास' के शीर्ष राजनीतिक नेता खालिद मशाल ने कहा कि हम ऐसी चोट मारना चाहते थे कि इजरायल बिलबिला जाए, और वही हुआ, लेकिन खालिद को क्या अब यह नहीं दीख रहा कि दोनों तरफ के समान्य निर्दोष नागरिक बिलबिला रहे हैं ? आज उनके साथ कोई नहीं है, सिवाय विनाश व मौत के।

एक बात यह भी कही जा रही है कि इजरायल व अरब देशों में जैसी आर्थिक नजदीकियां बढ़ रही थीं, उसे तोड़ने के लिए फिलिस्तीन ने 'हमास' द्वारा यह आत्मघाती कदम उठाया। अब अरबों के लिए इजरायल की तरफ हाथ बढ़ाना संभव नहीं रह जाएगा। यह सच हो तो भी यह कूटनीति कितनी अमानवीय है।

प्रधानमंत्री ने तुरंत बयान दे डाला कि भारत इजरायल के साथ खड़ा है। ऐसा कहने का अधिकार उन्हें कैसे मिला ? आजादी के पहले से इस विवाद के संदर्भ में भारत की भूमिका स्पष्ट रही है। महात्मा गांधी ने स्वयं इस मामले में हमारी विदेश-नीति की बुनियाद रख दी थी। उसे बदलने का अधिकार केवल भारत की जनता को है, किसी भी सरकार को नहीं कि वह अपने खोखले बहुमत के घमंड में राष्ट्रीय नीतियों से खिलवाड़ करे। प्रधानमंत्री ने जो कह दिया, अब विदेश मंत्रालय दबी-ढकी जुबान में उस पर लीपापोती कर रहा है। उसने बयान दिया है कि भारत 'हमास' की हिंसा का निषेध करता है, लेकिन फिलिस्तीन की आजादी पर किसी भी तरह के हमले को समर्थन नहीं देता।

इधर देखिए कि सारा अमरीकी खेमा, पश्चिम के आका मुल्क इजरायल के समर्थन में खड़े हो गए हैं। जैसे हमें पता ही नहीं है कि यही वह खेमा है जिसने फिलिस्तीन के सीने पर खंजर की नोक से इजरायल लिखा था। महात्मा गांधी ने तब भी कहा था कि हमें एक-एक यहूदी अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है, लेकिन पश्चिमी शैतानी का सहारा लेकर वे फिलिस्तीनी घर में घुस जाएं, इसका हम समर्थन नहीं कर सकते।

1938 में गांधी ने एक विस्तृत आलेख में भारत का रुख साफ कर दिया था : "मेरी सारी सहानुभूति यहूदियों के साथ है। मैं दक्षिण अफ्रीका के दिनों में उनको करीब से जानता हूँ। उनमें से कुछ के साथ मेरी ताउम्र की दोस्ती है और उनके ही माध्यम से मैंने उनके साथ हुई ज्यादातियों की बावत जाना है। ये लोग ईसाइयत के अछूत बना दिए गये हैं। अगर तुलना ही करनी हो तो मैं कहूंगा कि यहूदियों के साथ ईसाइयों ने जैसा व्यवहार किया है, वह हिंदुओं ने अछूतों के साथ जैसा व्यवहार किया है, उसके करीब पहुंचता है। दोनों के साथ हुए अमानवीय व्यवहारों के संदर्भ में धार्मिक आधारों की बात की जाती है।"

“निजी मित्रता के अलावा भी यहूदियों से मेरी सहानुभूति के व्यापक आधार हैं, लेकिन उनसे मेरी गहरी मित्रता भी मुझे न्याय का पक्ष देखने से रोक नहीं सकती और इसलिए यहूदियों की ‘अपने राष्ट्रीय घर’ की मांग मुझे जंचती नहीं है। इसके लिए बाइबल का आधार ढूँढा जा रहा है और फिर उसके आधार पर फिलिस्तीन लौटने की बात उठाई जा रही है, लेकिन जैसे संसार में सभी लोग करते हैं वैसा ही यहूदी भी क्यों नहीं कर सकते कि वे जहाँ जन्मे हैं और जहाँ से अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं, उसे ही अपना घर मानें ?”

“फिलिस्तीन उसी तरह अरबों का है जिस तरह इंग्लैंड अंग्रेजों का है या कि फ्रांस फ्रांसीसियों का है। यह गलत भी होगा और अमानवीय भी कि यहूदियों को अरबों पर जबरन थोप दिया जाए। आज फिलिस्तीन में जो हो रहा है उसका कोई नैतिक आधार नहीं है। पिछले महायुद्ध के अलावा उसका कोई औचित्य नहीं है। गर्वीले अरबों को सिर्फ इसलिए दबा दिया जाए, ताकि पूरा या अधूरा फिलिस्तीन यहूदियों को दिया जा सके, तो यह एकदम अमानवीय कदम होगा।”

“उचित तो यह होगा कि यहूदी जहाँ भी जन्मे हैं और कमा-खा रहे हैं वहाँ उनके साथ बराबरी का सम्मानपूर्ण व्यवहार हो। जैसे फ्रांस में जन्मे ईसाई को हम फ्रांसीसी मानते हैं वैसे ही फ्रांस में जन्मे यहूदी को भी फ्रांसीसी माना जाए; और अगर यहूदियों को फिलिस्तीन ही चाहिए तो क्या उन्हें यह अच्छा लगेगा कि उन्हें दुनिया की उन सभी जगहों से जबरन हटाया जाए जहाँ वे आज हैं ? या कि वे अपनी मनमौज के लिए अपना दो घर चाहते हैं ? ‘अपने लिए एक राष्ट्रीय घर’ के उनके इस शोर को बड़ी आसानी से यह रंग दिया जा सकता है कि इसी कारण उन्हें जर्मनी से निकाला जा रहा था।”

अमरीकी व पश्चिमी खेमे की कुल कोशिश यही है कि युद्ध भी हमारे मुट्ठी में रहे और विराम भी। दोनों ही कमाई के अंतहीन अवसर देते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में धिरे विफल प्रधानमंत्री नेतन्याहु ने मौके का फायदा उठाकर इजरायल के राजनीतिक नेतृत्व को अपने साथ ले लिया है। यह घटिया अवसरवादिता है। जब पूरा

इजरायल उनके खिलाफ खड़ा था और वे न्यायपालिका को अपनी मुट्ठी में करने का भद्दा खेल खेल रहे थे, तब उनके हाथ ऐसा अवसर आ गया जिसने उन्हें नई बेईमानी का मौका दे दिया। यह पूरी कहानी बेईमानी से ही शुरू हुई थी और बेईमानी से ही आज तक जारी है। यह नया भारत है जो इस बेईमानी में साझेदारी कर रहा है।

ऐसे में रास्ता क्या है ? 5 मई, 1947 को ‘रायटर’ के दिल्ली स्थित संवाददाता डून कैपबेल ने गांधी का ध्यान फिर से इस तरफ खींचा : “फिलिस्तीनी समस्या का आप क्या उपाय देखते हैं ?” गांधी : “यह ऐसी समस्या बन गया है कि जिसका करीब-करीब कोई हल नहीं है। अगर मैं यहूदी होता तो मैं उनसे कहता : ऐसी मूर्खता मत करना कि इसके लिए तुम आतंक का रास्ता अख्तियार कर लो। ऐसा करके तुम अपने ही मामले को बिगाड़ लोगे, जो वैसे न्याय का एक मामला भर है।”

“अगर यह मात्र राजनीतिक खींचतान है तब तो मैं कहूँगा कि यह सब व्यर्थ हो रहा है। आखिर यहूदियों को फिलिस्तीन के पीछे इस तरह क्यों पड़ जाना चाहिए ? यह महान जाति है। इसके पास महान विरासतें हैं। अगर इसके पीछे उनकी कोई धार्मिक प्यास है, तब तो निश्चित ही इस मामले में आतंक की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यहूदियों को आगे बढ़कर अरबों से दोस्ती करनी चाहिए और ब्रिटिश हो कि अमरीकी, किसी की भी सहायता के बिना, ‘यहोवा’ के उत्तराधिकारियों को उनसे मिली सीख और उनकी ही विरासत संभालनी चाहिए।”

दरअसल किसी को, किसी की विरासत को संभालनी नहीं है। सबको संभालनी है गद्दी। गांधी सत्ता की यह भूख पहचान रहे थे और इसलिए कैपबेल से कहते-कहते कह गए : “यह एक ऐसी समस्या बन गया है जिसका करीब-करीब कोई हल नहीं है।” गांधी ने जो आशंका प्रकट की थी, उनके करीब 76 साल पूरे होने को हैं, लेकिन युद्ध व विराम के बीच पिसते फिलिस्तीनी-इजरायली किसी हल के करीब नहीं पहुंचे हैं। विश्व की महाशक्ति व दोनों पक्षों के सत्ताधीश पीछे हट जाएं तो येरुशलम की संतानें अपना रास्ता खुद खोज लेंगी, लेकिन सत्य, प्रेम करुणा के ऐसे रास्ते पर उन्हें कौन चलने देगा ?

गांधी की मीराबेन

दत्तप्रसाद दामोलकर

गांधीजी के जीवन और तत्व-ज्ञान से प्रभावित होकर दुनिया भर के कई लोग उनसे जुड़े, जिनमें स्त्रियों की संख्या ज्यादा थी। उनमें सबसे महत्वपूर्ण थीं, मीराबेन। उनका और गांधीजी का आपसी भावनात्मक रिश्ता अदभुत है। मीराबेन यानी अंग्रेज कन्या मॅडलिन स्लैड। अंग्रेजी साम्राज्य की सर्व शक्तिमान 'नेवी' में सर्वोच्च कमांडर थे एडमंड स्लैड। इन्हीं की लाडली बेटी थीं मॅडलिन।

हम अपनी परिकथाओं में जिस विलासिता के बारे में पढ़ते हैं उसी ऐशो-आराम की जिंदगी मॅडलिन जी रही थीं। किशोरावस्था छोड़ जब उसने जवानी में कदम रखा तब वो बीथोवन के संगीत में आकंठ डूबी थी। बीथोवन का संगीत गहरी, गूढ़ और अंधेरी गुफा में ले जाकर अपनी अंतरात्मा खोजने को बाध्य कर देता है। मॅडलिन को भी यह महसूस हुआ।

उन दिनों फ्रांसीसी दार्शनिक, लेखक रोम्यां रोलां का बीथोवन की जीवनी पर आधारित ग्यारह खंडों में प्रकाशित उपन्यास 'जिन-खिस्टॉफ' मॅडलिन के हाथ लगा और फिर उसकी रोम्यां रोलां से मुलाकातें शुरू हो गईं। रोम्यां रोलां ने एक दिन मॅडलिन से कहा कि संगीत को तुम केवल एक माध्यम समझ रही हो, जबकि तुम्हारा उद्देश्य अपनी अंतरात्मा को खोजने का मार्ग होना चाहिए। मैंने गांधी पर लिखी एक किताब पढ़ी है। आज ईसा मसीह फिर से मानव के रूप में पृथ्वी पर विचर रहा है; यह तुम्हें देखना हो तो गांधी से मिलो।

मॅडलिन ने सोचा गांधी से मिलने, उनके आश्रम में रहने के पहले मुझे अपने आपको उसके लिए ढालना होगा। एक साल तक यह कन्या शराब, मांसाहार बंद कर कठोर ब्रम्हचर्य व्रत का पालन करती है। जमीन पर सोना, केवल आध्यात्मिक साहित्य ही पढ़ना, दिन में दो बार तकली से सूत कातना, सब करती है। तब कहीं जाकर गांधी उसे आश्रम में प्रवेश देते हैं। आश्रम का जीवन तो इससे भी ज्यादा कठोर है, यह उसे वहां जाकर पता चलता है, मगर वह उसका पालन करती है।

गांधीजी का भोजन, उनकी समय की पाबंदी, दोपहर की विश्रांति, उनके नहाने के लिए लगने वाला धूप का कुनकुना पानी - यह सब मीराबेन के जिम्मे रहता है। जिस तरह मां अपने बेटे का ख्याल रखती है, वैसा। मीराबेन का यह आत्मचरित्र अपने लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि 'नमक सत्याग्रह' से लेकर भारत-विभाजन और उसके कारण गांधीजी की असहाय छटपटाहट, आसपास क्या हो रहा है इस पर मीराबेन की टिप्पणियां आज भी हम तक पहुंची नहीं हैं। इस पुस्तक की केवल दो घटनाओं का मैं जिक्र करूंगा।

भगत सिंह की फांसी पर पूरा देश क्रोध से उबल रहा था। भगत सिंह को फांसी मत दीजिए, इस आशय का गांधीजी ने वाइसराय को पत्र लिखा था। गांधीजी और वाइसराय लार्ड इर्विन के बीच जो बैठक होने वाली थी उसमें शायद यह प्रस्ताव पास होना था कि भगत सिंह की फांसी रुकवा दी जाए, लेकिन कराची जाने के लिए गांधीजी जब ट्रेन पर चढ़ रहे थे तभी पता चला कि भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी पर लटका दिया गया है।

जिन लोगों ने भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए जरा भी कोशिश नहीं की, उन्होंने अफवाह फैलाई कि भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए गांधीजी ने कुछ नहीं किया। रात में सुकुर स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी, तब संतप्त युवा लाठियां लेकर गांधीजी के डिब्बे में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। गांधीजी सो रहे थे। उनके साथ डिब्बे में मीराबेन और दो साथी थे। उन्होंने सभी दरवाजे, खिड़कियां बंद कर ली थीं। गाड़ी चलने लगी थी, फिर भी कांच को अपने सिर से फोड़ एक युवक खून से लथपथ अंदर घुसा।

26 अगस्त को वाइसराय से चर्चा कर गांधीजी ने 'गोलमेज परिषद' में जाने का तय किया। 27 अगस्त को मीराबेन को गांधीजी का तार मिला कि जहाज 29 अगस्त को रवाना होने वाला है। मीराबेन, महादेव भाई और अन्य साथियों ने गांधीजी को बताया कि 4-5 बक्सों में आवश्यक चीजें भर ली हैं। गांधीजी ने कहा कि केवल दो

बक्से पर्याप्त हैं, बाकी सब नाव में उतार दो, नहीं तो मुझे उतार देना।

लंदन में गांधीजी की दिनचर्या और अर्ध-नग्न पोशाक वैसी ही थी। परिषद की बैठक से वे रात एक बजे लौटते और अलार्म लगाकर सुबह तीन बजे सबको उठा कर प्रार्थना प्रारंभ कर देते। लंदन में गांधी जहां भी जाते, उन्हें देखने जनता की जो भीड़ इकट्ठी होती उसे देखकर सादी पोशाक में गांधी के लिए भेजे गए अंगरक्षक भी चकित थे। मॅडलिन लिखती हैं, “हम राजघराने में रहने के आदी थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा।”

पोप ने उन्हें वेटिकन आमंत्रित किया और गांधीजी ने उसे स्वीकार कर लिया। इटली के तानाशाह मुसोलनी ने भी उन्हें बुलाया और गांधीजी उनसे भी मिले। पांच दिन गांधीजी रोम्यां रोलां के साथ थे। रोम्यां रोलां ने अपने मित्रों को लिखा कि उन दिनों यदि आप यहां होते तो आपको पता चलता कि गांधी ही आध्यात्मिक शक्ति हैं। गांधीजी कहते थे कि मैं अब बदल गया हूं। पहले मैं परमेश्वर को ही सत्य का स्वरूप मानता था, लेकिन अब मुझे पता चला है कि सत्य ही परमेश्वर है।

स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों का दमन-चक्र प्रारंभ हो चुका था। सभी नेता जेल में थे। भूमिगत होकर मीराबेन अखबारों की खबरें भेजकर बताती थीं कि वस्तुस्थिति क्या है। उन्हें आर्थर-रोड कारावास में एक साल के लिए बंद किया गया था। उनके आसपास वेश्याएं और खूनी महिलाएं रहती थीं। जब वे जेल से छूटीं तो गांधीजी ने उन्हें सलाह दी कि तुम वापस इंग्लैंड जाओ और वहां के अखबारों को सच्ची घटनाएं बताओ। वे इंग्लैंड जाती हैं और भाषणों के जरिये जनता से बात करती हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति रूझवेल्ट की पत्नी से मिलती हैं।

अब वापस आती हैं तब उन्हें पता चलता है कि गांधीजी, कस्तूरबा और महादेव देसाई को आगाखान पैलेस में नजरबंद कर रखा है। कस्तूरबा और महादेव देसाई की मृत्यु के बाद मीराबेन गांधीजी को सांत्वना देती हैं। बिभाजन का दुख और गांधीजी की हत्या पर बहुत संयत शब्दों में मीराबेन ने लिखा है। उनका और गांधीजी का पत्राचार भी इस पुस्तक में है। बानगी के

सामान्य व्यक्ति का आत्मबल सदा ही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाक्ति होता है। राजनीतिक स्वरूप उसी आत्मबल का एक स्थूल रूप है। सर्वसामान्य व्यक्ति के आत्मबल से मित्र में किसी सरकार के रूप को नहीं मानता। इसीलिए मैं यह मानता हूँ कि लोग वैसी ही सरकार पाते हैं, जिनके लायक वे होते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो स्व-राज्य स्व-प्रयत्न के ही द्वारा प्राप्त हो सकता है।
— महात्मा गांधी

लिए गांधीजी बोरसाड में हैं। वहां का मौसम बहुत खराब चल रहा है। ‘तुम अब सेवाग्राम क्यों नहीं जाती’, कहकर गांधीजी उस पर झुंझलाते हैं, जिस पर नाराज होकर वे चली जाती हैं।

उन्हें गांधीजी का पत्र मिलता है — ‘मीरा, मैं जब चरखा चलाता हूँ तो हर समय तुम मेरे मन में रहती हो। मगर कोई इलाज नहीं। एक बात ध्यान रखना, सारा सुख और ऐश्वर्य छोड़कर तुम मेरी सेवा करने यहां नहीं आई हो, मैंने जिन जीवन मूल्यों को अंगीकार किया है उसे आत्मसात करने आई हो। जब मैंने देखा कि सारा समय तुम मेरी सेवा में लगी रहती हो तो मुझे लगा कि मैं तुम्हारा दुरुपयोग कर रहा हूँ। इसलिए मैं जरा-जरा सी बात पर तुमसे नाराज हो जाता हूँ। तुम्हारी सेवा स्वीकारते समय मुझे लगा मेरी यह अग्नि-परीक्षा है।’

मीराबेन जब कारावास में थीं तब उन्हें दो विकल्प दिए गए थे — पहला, हफ्ते में कोई भी व्यक्ति एक बार मिलने आ सकता है। दूसरा, हफ्ते में केवल एक पत्र लिख सकती हो। मीराबेन दूसरा विकल्प चुनती हैं। उन्हें भेजे पत्र में गांधी लिखते हैं, “स्वयं को खोजने के लिए कारावास जैसी कोई जगह नहीं है। तुम्हें बाइबल और ईसा मसीह तो मालूम हैं, अब कुरान और मीर अली का ‘स्पिरिट ऑफ इस्लाम’ पढ़ लेना। वेद, महाभारत, रामायण, उपनिषद् पढ़ लेना, तब तुम्हें हिन्दू तत्व-ज्ञान की अंतरंग समझ होगी।”

मीराबेन के आत्मचरित्र का एक और उदाहरण हमारी आंखें खोलने वाला है। ‘तुम्हें यदि ईसा मसीह को जानना हो तो गांधी से मिलो’ कहने वाले रोम्यां रोलां जब ‘गोलमेज परिषद्’ से लौटते समय गांधीजी के साथ पांच दिन रहे, तब उन्होंने मीराबेन से कहा, ‘बेटी, मुझे गांधी में विवेकानंद के अंश भी दीखते हैं।’

(मूल मराठी से हिन्दी में श्री अरुण डिके द्वारा अनूदित)

वैज्ञानिक है जैविक—खेती : मूल तत्त्व है मिट्टी

अरुण डिके

खरा वैज्ञानिक एक दार्शनिक की तरह आनेवाली आपदाओं को पहले ही भांपकर अपना शोध प्रारंभ कर देता है। खेती में प्रकृति की लीलाओं को नकारते हुए जर्मनी के रसायनशास्त्री बेसिनगल्ट ने वर्ष 1834 में कृषिरसायनों की नींव डाली थी। पहले तो कुछ मुट्ठी भर किसानों ने रसायन खेत में डाले। उन्हें देखकर और किसान भी रसायन डालने लगे। 1840 में जर्मनी के ही रसायनशास्त्री जॉन अगस्टीत लायबेक ने जमीन के नीचे की गहरी परतों में पाया कि पौधों के लिए जरूरी पोषण वहां उपलब्ध नहीं है, इसलिए रसायन जरूरी है। लायबेक भूल गए कि जमीन के नीचे 18 इंच की परत में केंचुओं के द्वारा उत्पादित ह्युमस पौध-पोषण का प्रमुख अंग है।

आगे चलकर लायबेक असफल हो गए क्योंकि वे केवल रसायनशास्त्री थे। खेती का उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। वर्ष 1890 में अपनी मृत्यु के पहले उन्हें अपनी भूल का अहसास हुआ और उन्होंने 'एनसायक्लोपीडिया ब्रिटानिका' में लिखा कि "उस महान सर्जक (प्रकृति) की बुद्धिमत्ता के खिलाफ बहुत बड़ा पाप किया है जिसकी सजा अब मुझे मिल रही है।" मजे की बात यह है कि लायबेक का यह वाक्य रहस्यमय ढंग से वहां से गायब हो गया और 'एनपीके' रसायन पूरी दुनिया में फैल गए। जॉन अगस्टीत लायबेक की एक छोटी सी भूल को दुनिया आज भी भुगत रही है।

वर्ष 1905 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के किसानों को रासायनिक खेती सिखाने कृषि वैज्ञानिक अलबर्ट हॉवर्ड को भेजा था। बिहार के पूसा गांव में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत 'इंपीरियल कृषि अनुसंधान केन्द्र' में अलबर्ट हॉवर्ड नियुक्त हुए। उनकी आदत थी कि वे सुबह उठकर आसपास के गांवों में किसानों की प्रचलित खेती देखते थे। इस दौरान उन्हें दो बातें नजर आईं। एक तो हर किसान बहुफसली खेती करता है और दूसरा, केवल पकी हुई गोबर की खाद खेतों में डालता है। वे चकरा गए और उन्होंने तय किया कि उन्हें रासायनिक खेती सिखाने के पहले उनकी पारंपरिक खेती का अध्ययन किया जाए।

अलबर्ट हॉवर्ड और उनकी पत्नी गेबरिल ने भारत की

पारंपरिक खेती देखने पूरब-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण छान मारा। उन्होंने पाया कि किसान भले ही अनपढ़ हो, लेकिन उन्हें खेत की मिट्टी का, खरपतवारों का, मौसम के उतार-चढ़ाव का पूरा ज्ञान है। बगैर रसायनों के मात्र मानव श्रम से वे खेत के खरपतवार निकालकर जानवरों को खिलाते हैं और बहुवृक्षीय खेती होने से भारी वर्षा या भीषण गर्मी में मिट्टी की उर्वरता कम नहीं होने देते।

अलबर्ट हॉवर्ड ने पाया कि सफल खेती का मूल तत्व मिट्टी है, उसे जितना उर्वर रखा जाए उतनी उपज अच्छी होती है। खेतों में खरपतवार प्रकृति का दिया अमूल्य वरदान है। अलबर्ट हॉवर्ड ने भारत के किसानों की बहुफसली खेती का गौर से निरीक्षण किया और पाया कि ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, मूंग, उड़द, तिल यदि एक साथ बोए जाएं तो चारावर्णीय फसलों की जड़ों में मायकोरायझा सूक्ष्म जीवाणु पनपता है जो मिट्टी की उर्वरता अक्षुण्ण बनाए रखता है। गुजरात के किसान जो अरंडी की फसल बोते हैं उसकी जड़ों में भी मायकोरायझा प्रमुखता से उपलब्ध है। मायकोरायझा सूक्ष्म जीवाणु के कारण ही खरपतवार और मृत प्राणियों के अवशेषों से ह्युमस पदार्थ बनते हैं, उसी के कारण फसलों के लिए आवश्यक कर्ब और नत्र का अनुपात 10:1 बना रहता है।

हॉवर्ड का मानना था कि उन्नत बीजों से फसल का उत्पादन यदि 10 प्रतिशत बढ़ता है तो जैविक मिट्टी से 100 प्रतिशत उत्पादन बढ़ेगा। अलबर्ट हॉवर्ड के जैविक खेती के शोध का मूल तत्त्व था कि खेतों की समस्याएं खेतों में ही हल होंगी, प्रयोगशाला में नहीं। भारत के किसानों की खेती देखकर अलबर्ट हॉवर्ड इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने अनुसंधान केन्द्र में किए गए पौधरोग, कीटरोग, मृदारसायन प्रयोगशालाओं को, यहां तक कि सांख्यिकी शास्त्र (स्टैटिस्टिक) को भी गलत ठहराया। भारत के किसानों को वे अपना गुरु मानते थे।

अलबर्ट हॉवर्ड को पूरा भरोसा हो गया था कि जैविक खेती ही किसानों को मुक्ति दिलाएगी, लेकिन उनके शोध को वैज्ञानिक परीक्षण से ही मान्यता मिल सकती थी। स्वतंत्र

अनुसंधान के लिए उन्हें जमीन चाहिए थी। किसी ने उन्हें सुझाव दिया कि इन्दौर कपास का बहुत बड़ा क्षेत्र है, वे वहां जाएं। श्रीमंत तुकाजी राव होलकर ने कपास के उन्नत बीज के लिए इन्दौर में सन् 1902 में 'इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री' प्रारंभ की थी। अलबर्ट हॉवर्ड के काम से प्रभावित महाराजा ने उन्हें सन् 1922 में 'इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री' का निदेशक नियुक्त किया।

उन दिनों कपास और अन्य फसलों की कटाई के बाद उनके अवशेषों की पिसाई के लिए केन्द्र में बैलगाड़ियों का उपयोग होता था। इन्दौर का वर्तमान कृषि महाविद्यालय ही यह केन्द्र है जहां अलबर्ट हॉवर्ड ने फसलों के अवशेष गोबर, गोमूत्र और मिट्टी से जैविक खाद तैयार करने का अनुसंधान प्रारंभ किया। उसके मिश्रण को बार-बार पलटने के लिए वहां हौद बनाए। 6 माह में पाया गया कि इन खरपतवारों और फसल अवशेषों में गोबर और गोमूत्र मिलाने से ही जैविक खाद तैयार होती है। अलबर्ट हॉवर्ड के इस शोध में डॉ. यशवंत वाड का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।

वर्ष 1931 में अपना अनुसंधान पूरा कर अलबर्ट हॉवर्ड सेवानिवृत्त होकर इंग्लैंड वापस चले गए, लेकिन अन्य देशों में घूमकर उन्होंने इन्दौर से बनी जैविक खाद का प्रचार किया। अपने शोध को उन्होंने नाम दिया "इन्दौर मेथड ऑफ कंपोस्ट मेकिंग।" होलकर महाराजा की कृतज्ञता को उन्होंने इस तरह नवाजा और इन्दौर का नाम रोशन किया। हॉवर्ड भारत के खेतों को एक जायदाद मानते थे और उस पर उन्होंने 1940 में किताब लिखी "एन एग्रीकल्चरल टेस्टामेंट।" उसका मराठी और हिन्दी में भी अनुवाद उपलब्ध है।

रसायनों से प्रदूषित मिट्टी को सुधारने के लिए 'यूएनओ' ने वर्ष 2015 को 'मृदा वर्ष' (सॉइल इयर) घोषित किया और अलबर्ट हॉवर्ड को विश्व का सर्वश्रेष्ठ मृदा वैज्ञानिक घोषित किया। विरोधाभास यह है कि जिनको हम पिछड़ा करार देते हैं वे भारत के किसान ही अलबर्ट हॉवर्ड के गुरु थे।

अक्टूबर 2015 में पर्यावरणविद डॉ. वंदना शिवा 20 राष्ट्रों के कृषि वैज्ञानिकों, किसानों और समाजसेवियों

को लेकर इन्दौर कृषि महाविद्यालय आई थीं। अलबर्ट हॉवर्ड की प्रयोगशाला, वहां की टेबल-कुर्सियां देख सब भाव विभोर हो गए। अमेरिका से आए एक कृषि वैज्ञानिक ने कहा कि 100 साल पहले भारत जहां था, हम आज वहां पर जैविक खेती प्रारंभ करने जा रहे हैं। क्या यह उचित नहीं होगा कि इन्दौर कृषि महाविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि केन्द्र की मान्यता मिले। यह कार्य शासन तभी कर सकता है जब इन्दौर की प्रबुद्ध जनता संज्ञान लें। (सप्रेम)

श्रद्धांजलि

विजयश्री का देहान्त

विजयश्री, सुपुत्री वरिष्ठ सर्वोदय सेवक अमरनाथभाई, का गंत 21 अक्टूबर, 2023 को देहान्त हो गया। वे कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थीं। विजय की शिक्षा-दीक्षा नयी तालीम पद्धति से हुई थी और उनका विवाह सम्पूर्णक्रान्ति आन्दोलन के लोकप्रिय गायक अरुण कुमार के साथ हुआ था।

सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान के मंत्री का दुःखद अंत

सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान के मंत्री प्रदीप खेलूलकर का दिनांक 23 अक्टूबर, 2023 को एक सड़क दुर्घटना में दुःखद अंत हो गया। वे 66 वर्ष के थे और आश्रम प्रतिष्ठान की अध्यक्ष श्रीमती आशा बोथरा के साथ ही उन्होंने सचिव की जिम्मेदारी संभाली थी। वे एक कुशल व्यवस्थापक, मृदुभाषी एवं सरल हृदय इंसान थे। प्राप्त सूचना के अनुसार अहमदनगर (महाराष्ट्र) के आसपास एक सड़क दुर्घटना में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गयी।

ईश्वर दिवंगत आत्माओं को चिरशान्ति प्रदान करे और उनके परिवारजनों को उनकी चिर-विदाई का शोक-सहन करने की शक्ति दे। इस प्रार्थना के साथ उनके प्रति हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि!

— सं.

मंत्री की कलम से

गांधी जयन्ती : चण्डीगढ़ (गांधी भवन)

गांधी जयन्ती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंजाब, चण्डीगढ़ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि गांधी जयंती हमें गांधीजी की शांति और अहिंसा के सिद्धांतों की याद दिलाती है। उन्होंने कहा कि “गांधीजी और उनके अनुयायियों ने एक लम्बा संघर्ष किया, और कई दशकों तक अहिंसक आन्दोलन किया ताकि भारत के लोग एक स्वतंत्र राष्ट्र में रह सकें। इसलिए हमें आज भारत की स्वतंत्रता में उनके योगदान को याद करते हुए सत्य और अहिंसा में अपने विश्वास को और दृढ़ करना है। गांधीजी और उनके सहयोगी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा भारत की स्वतंत्रता के लिये समर्पित कर दिया था और आज हम स्वतंत्र हैं। इसलिये राष्ट्र के लोगों की भलाई के प्रति हम सबकी निष्ठा हमारा कर्तव्य है, समाज में शांति-सद्भाव, भाईचारा तथा ईमानदारी से जीना है।” उन्होंने अपने बचपन को याद करते हुए कहा, “जिस दिन देश आजाद हुआ हम सब खुश थे, गांधीजी की जय कहते हुए हम सब बच्चे सड़क पर दौड़ते रहे। गांधीजी हमेशा ही समानता, बंधुता और अंतिम व्यक्ति की भलाई में सबका योगदान चाहते थे। इसलिए आइये आज देश को बेहतर बनाने में हम सब अपना फर्ज अदा करें और गांधी के मार्ग पर चलने का प्रयास करें।”

कार्यक्रम के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि “विश्व के सामने हिंसा बड़ी चुनौती है। युक्रेन, मणिपुर जैसी घटनाएं मानवता पर निर्मम चोट हैं। हमें सद्भावना के मार्ग पर चलना है, देश में नफरत के वातावरण को मिटाने से ही भारत दूसरे देशों का मार्ग-दर्शन कर पायेगा। साम्प्रदायिक सद्भाव की गरिमा को हमें नहीं खोना है।”

आभार आनन्द कुमार शरण ने व्यक्त किया। लगभग 200 से अधिक प्रतिष्ठित नागरिक, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, प्रशासनिक सेवा से जुड़े लोग एवं गांधीजनों ने कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल महोदय ने गांधी प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम का संचालन अशोक शरण ने किया।

तेलंगाना गांधी स्मारक निधि :

11 सितंबर, 2023 से ही यहां लगातार कार्यक्रम आयोजित किये गये। गांधी-जयंती के अवसर पर हैदराबाद में गर्वमेंट म्यूजिक कॉलेज के विद्यार्थियों ने विशेष प्रस्तुति की। इस अवसर पर न्यायाधीश पी. नारायण विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जी. बी. सुब्बाराव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी द्वारा गांधीजी के भाषणों की संकलित पुस्तक “गांधी तत्वम्” के नये संस्करण का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में खादी, ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी भी लगाई गई। संगोष्ठी का संचालन तेलंगाना गांधी स्मारक निधि के मंत्री के. रंगाराव ने किया। हैदराबाद शहर के गणमान्य लेखक, पत्रकार, समाजसेवी, विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

उ. प्र. गांधी स्मारक निधि :

उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि के तत्वावधान में आयोजित महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम का पुरस्कार वितरण समारोह लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर 11 अक्टूबर, 2023 को दोपहर 1.00 बजे से गांधी-भवन सभागार में प्रारंभ हुआ। जिसमें मुख्य अतिथि डॉ. अशोक बाजपेयी (सांसद, राज्यसभा) और विनोद शंकर चौबे (सेवानिवृत्त, आई. ए. एस.) थे तथा अध्यक्षता महेन्द्र कुमार जैन (फाउण्डर, महेन्द्रा एजुकेशनल) ने किया। इस कार्यक्रम में तमाम विद्यालयों के अध्यापक तथा बच्चे व बच्चों के परिजन उपस्थित रहे।

सभी कार्यक्रमों में ‘द आफ पब्लिक स्कूल’ डालीगंज के बच्चों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जिसे चल बैजंती प्रदान की गई। उपरोक्त में यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल, डॉ. मुरारी लाल मेमोरियल इन्टर कालेज, सीटी मॉन्टेसरी स्कूल, राजकीय जुबली इन्टर कालेज, ब्राइट लैंड स्कूल आदि के बच्चों ने पुरस्कार प्राप्त किये। अन्त में संस्था के सचिव लाल बहादुर राय के आभार के बाद कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

गांधी-भवन : कटक

महात्मा गांधी की बंदोबस्त हिंदू और मुस्लिम दोनों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कंधे-से-कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। हमारी कड़ी मेहनत से प्राप्त स्वतंत्रता हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के बलिदान का परिणाम है। खान अब्दुल

गफफार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, फखरुद्दीन अली अहमद, बीबी अमातुस सलाम, बी. अक्बा, हजारा बेगम, अब्बास तैयबजी, हकीम अजमल खान, यूसुफ मेहर अली से लेकर हमारे ओडिशा के डॉ. एकराम रसूल, सैयद अहमद, मुहम्मद बाजी, मुहम्मद हनीफ, अकबर खां आदि ने स्वतंत्रता आंदोलन में हजारों मुसलमानों को प्रेरित किया। यह बात महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के अवसर पर उत्कल गांधी स्मारक निधि की तरफ से कटक गांधी-भवन में, गांधी मेमोरियल व्याख्यान सीरीज में 'मुक्ति संग्राम में मुसलमान' शीर्षक पर प्रमुख गांधीवादी डॉ. विश्वजीत ने कही। शेख अब्दुल्ला की अध्यक्षता में आयोजित व्याख्यान में गायत्री दास, न्यायमूर्ति अनवरन मोहंती, डॉ. सत्य राय, विरुपाक्ष त्रिपाठी, हरिहर सेन, रामचन्द्र शुक्ल, मोहम्मद सोनावाला आदि उपस्थित रहे।

म. प्र. गांधी स्मारक निधि :

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश गांधी स्मारक निधि में दिन की शुरुआत शहर के नागरिकों व स्कूली बच्चों के साथ सर्व धर्म प्रार्थना से हुई। उसके बाद शहर के मुख्य मार्गों से प्रभात फेरी निकालकर राष्ट्रपिता के शांति और सर्वधर्म समभाव के संदेश लोगों के बीच फैलाने का प्रयास किया गया। गांधी जयंती कार्यक्रम में शहर के समाजसेवियों, नागरिकों, पत्रकारों व स्कूल के छात्रों ने राष्ट्रपिता को नमन किया। लगभग 300 नागरिकों की उपस्थिति में स्कूली छात्राओं ने गांधी विचार पर आधारित नाटक, भजन आदि की प्रस्तुति की। इस अवसर पर गोष्ठी का भी आयोजन किया गया जिसमें शहर के न्यायाधीश, छात्र, नागरिक आदि ने अपनी बात रखी।

गांधी भवन, भोपाल :

सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, विद्यार्थियों ने प्रस्तुति दी, सफल विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर म. प्र. के राज्यपाल विशेष

अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संस्था के सचिव ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम में संस्था के सदस्य महेश सक्सेना, राजेश बादल, अरुण उनायक आदि उपस्थित रहे।

मुम्बई गांधी स्मारक निधि :

मणि भवन में गांधी जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संगोष्ठी, प्रदर्शनी तथा विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुति शामिल रही।

आगा खां पैलस :

सर्व धर्म प्रार्थना, भजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। शहर के दूर-दूर से आए विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में भागीदारी की। कार्यक्रम में सिबिरॉसिस लॉ कालेज के प्राचार्य प्रो. शेडके तथा संस्था के ट्रस्टी डॉ. रघुनाथ मासेलकर ने व्याख्यान दिया। संचालन श्रीवाला चौरडिया ने किया।

— संजय सिंह

श्रद्धांजलि

सर्वनारायण भाई का देहान्त

बिहार के वरिष्ठ सर्वोदय सेवक सर्वनारायण भाई नहीं रहे। गत् 19 अक्टूबर, 2023 की रात को करीब 90 वर्ष की उम्र में दरभंगा (बिहार) में उनका देहान्त हो गया।

सर्वनारायण भाई सर्व प्रिय एवं सर्वोदय-दर्शन के गहन अध्येता एवं आन्दोलन के सक्रिय साथी थे। उनकी लिखी सर्वोदय आन्दोलन की समीक्षात्मक पुस्तक 'बिहार पर्व' उनके चिंतनशील व्यक्तित्व की पहचान कराती है। उनका जाना सर्वोदय-विचार-परिवार की एक अपूरणीय क्षति है।

ईश्वर उनकी आत्मा को चिरशान्ति प्रदान करे और उनके परिवारजनों को उनकी चिर-विदाई का शोक-सहन करने की शक्ति दे। इस प्रार्थना के साथ उनके प्रति हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि!

— सं.